Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन का वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं ठेकेदार 50 हजार रुपये रिश्वत लेते–देते गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 जून, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर द्वारा आज सूत्र–सूचना पर कार्यवाही करते हुये धर्मसिंह मीणा वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन एवं जय नारायण मीणा ठेकेदार (प्राईवेट व्यक्ति) को **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते–देते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. को एक सूत्र–सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुर्नवास गृह, जामडोली, जयपुर के मैंटिनेंस एवं लेबर सप्लाई का ठेका प्राप्त करने एवं घटिया सेवायें–सामग्री सप्लाई करने पर भी बिल पास करने में संरक्षण प्राप्त करने हेतु कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर के वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं ठेकेदार के बीच रिश्वत का लेने–देन होने की संभावना है।

जिस पर एसीबी की मुख्यालय स्थित विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में **उप अधीक्षक पुलिस श्री सचिन शर्मा** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा निवासी प्लाट नं0 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन एवं जय नारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल मीणा निवासी ग्राम पोस्ट लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर हाल ठेकेदार (प्राईवेट व्यक्ति) को निदेशालय विशेष योग्यजन के बाहर **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते–देते गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।